**निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या** 97 **वर्ष** 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी **अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग ,लोहाघाट** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी **अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग ,लोहाघाट** के माह 10/2016 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी॰के॰ श्रीवास्तव व श्री सुनील कुमार सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री संजीव कुमार लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 06-03-2018 से 16-03-2018 तक श्री जगमोहन संह रावत वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में संपादित कया गया।

**<u>भाग-I</u>**

**1- <u>परिचयात्मकः</u>** इस इकाई के लेखा अ भलेखों की वगत लेखापरीक्षा दिनांक 17/10/2016 से 27/10/2016 तक श्री राजेश कुमार सन्हा एवं श्री मनोज खड्डी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, एवं श्री सुधीर श्रीवास्तव एवं श्री अक्षय खड़ोला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी / लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसके अंतर्गत माह 09/2015 से 09/2016 तक के लेखा भलेखों की जाँच की गई थी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 10/2016 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

**2.** (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

**<u>क्रियाकलापः-</u>**

सडको का निर्माण एवं मरम्मत।

**<u>भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-</u>**

लोहाघाट, वाराकोट

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष ` | प्राप्त ` | व्यय | व्यय अधिक्य (+) ` | बचत (-) ` |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | शून्य | | | | | |
| 2014-15 | | | | | | |
| 2015-16 | | | | | | |
| 2016-17 | | | | | | |
| 2017-18 (01/2018) | | | | | | |

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सैक्टर के अंतर्गत किया जाता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

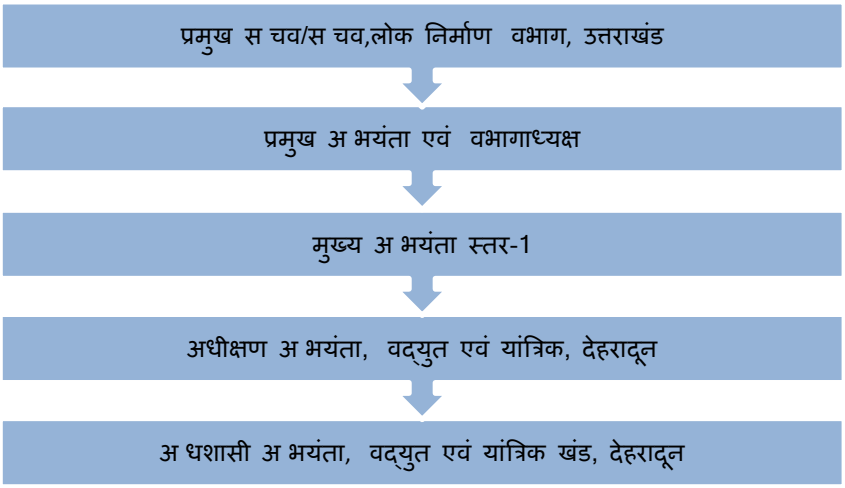


**लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकार, कर्तव्य एवं शर्तों के अधीन धारा-13 के अंतर्गत कार्यालय **अ धशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग ,लोहाघाट** के माह जुलाई 2016 से फरवरी 2018 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अ धशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग ,लोहाघाट** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। लोहाघाट के अंतर्गत नि र्मत आंतरिक मार्गो का BM/SDBC द्वारा नवीनीकरण योजना का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन अधिक व्यय (लेखापरीक्षा अधिकारी ) के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

**3.** अधीक्षण अभियंता द्वारा खंड का विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक ..... को निरीक्षण किया गया।

**4.** खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2017 तथा 07/2018 तक की गई।

**5.** फार्म 51: माह 02/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 506353.23

भाग द्वितीय ` 1699970.00

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह ..... के अन्त में

(क) प्रकीर्ण अग्रिम ` 5948627.00

(ख) सामग्री क्रय ` शून्य

(ग) नगद परिशोधन ` शून्य

(घ) निक्षेप ` 34635004.00

(ङ) भण्डार ` 7529187.00

## भाग 2 (ब)

प्रस्तर1- निर्माण कार्य में अनिय मतता 5.05 करोड़।

जनपद चम्पावत के लोहाघाट के अन्तर्गत घाट नेत्रसलान मोटर मार्ग के कमी. 1,2,3 में 36 mt, 21 mt एवं 21 mt स्पान के सेतुओं के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति माह जनवरी 2014 में 666.52 लाख प्रदान की गयी थी एवं प्रा व धक स्वीकृति मुख्य अ भयन्ता द्वारा माह सतम्बर 2014 में 666.42 लाख प्रदान की गयी थी।

निर्माण खण्ड लोहाघाट की लेखापरीक्षा (माह मार्च 2018) में पाया गया क उपरोक्त कार्य से संबं धत नि वदा प्र क्रया एवं अनुबंध गठित करने में अनिय मतताए व्याप्त थी जिनका ववरण निम्नानुसार हैः

1. कार्य हेतु प्रा व धक स्वीकृति दिनांक 23/09/2014 में प्रदान की गयी थी कन्तु नि वदा उसमें पहले ही दिनांक 30/01/2014 को जारी कर दी गयी थी अर्थात कार्य से संबं धत Drawing/Design मद, मात्राएं एवं दरों की स्वीकृति मलने में पूर्व ही नि वदा जारी कर दी गयी थी।
2. सेतुओं जैसा महत्वपूर्ण एवं 6.00 करोड़ से अ धक का कार्य होने के बावजूद अल्पकालीन नि वदा जारी की गयी और दो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों की जगह मात्र एक समाचार पत्र अमरउजाला में नि वदा प्रका शत की गयी।
3. नि वदा खोलने की अंतिम ति थ 10/02/2014 थी कन्तु दिनांक 01/03/2014 को खोली गयी। न्यूनतम नि वदादाता की नि वदा दिनांक 01/03/2014 को फाईनल कर दी गयी थी कन्तु बिना कसी वैध कारण के अनुबंध 10 माह बाद दिनांक 03/01/2015 को गठित कया गया।
4. मूल नि वदा कुल 23 मदों के साथ 64383551 की लागत की जारी की गयी थी जिसके सापेक्ष न्यूनतम नि वदादाता द्वारा 63050811/- की रा श कोट की गयी थी इसके बाद वभाग द्वारा रिवाईज्ड सैड्यूल 'बी' तैयार की गयी एवं मात्र 11 मदें रखी गयी एवं लागत घटा कर 36371098/- को नि वदा स्वीकार की गयी।
5. ठेकेदार के साथ अनुबंध 36371098/- का गठित कया गया कन्तु माह दिसम्बर 2017 तक ठेकेदार को अनुबंध के सापेक्ष आ धक्य भुगतान 50537337/- कया जा चुका था ( जिसमें 1.21 करोड़ के अतिरिक्त मद भी सा मल थे) जब क कार्य अभी भी अपूर्ण था।

उपरोक्त अनिय मतताओं की ओर इं गत करने पर खण्डीय आख्या में बतलाया गया क नि वदा स मति द्वारा नि वदा फाईनल करने में निर्णय लया गया, पुलों की डजाईनिंग की vetting में देर होने के कारण एवं कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने की जनप्रतिनि धयों के दबाव के कारण नि वदा जारी करनी पड़ी। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं था क्यों क कार्य हेतु बिना Drawing and Design एवं प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त कए ही नि वदा जारी की गयी एवं अनुबंध गठित करने में जल्दबाजी तो दिखलाई गयी कन्तु कार्य समयाव ध बीतने के बाद भी समाप्त नहीं कया जा सका साथ ही नि वदा प्र क्रया में अनिय मतताए व्याप्त थी।

अतः बिना Drawing & Design प्रा व धक स्वीकृति के नि वदा जारी करना एवं नि वदा प्र क्रया में अनिय मतताओं का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-**II** (ब)

प्रस्तर-2 : वत्तीय नियमावली के वपरीत कार्य प्रारम्भ करने के उपरांत भी वत्तीय स्वीकृति के 11 वर्षो बाद भी कार्य का अपूर्ण रहना

- -380, Lapse of sanction-The approval or sanction to an estimate for any public work other than annual repairs will unless such work has been commenced cease to operate after a period of five years from the date on which it was accorded"

उत्तराखंड शासन द्वारा जनपद चंपावत मे SCSP योजना के अंतर्गत मरोडाखान-दयारतोनी मोटर मार्ग से अंबेडकर ग्राम लटी- हिथौड़ा वास मोटर मार्ग (लंबाई 12.00 कमी) के निर्माण हेतु रु 213.60 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2006) थी। मार्ग के Part-I कार्य के निर्माण (मार्ग लंबाई 9.575 कमी) हेतु प्रा व धक स्वीकृति रु 146.36 लाख की प्रदान की गयी (अप्रैल 2015)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध 20/SE दिनां कत 05.07.2015 रु 55.00 लाख (रु 136.00 लाख के सापेक्ष) हेतु गठित कया गया जिसके अनुसार कार्य समाप्त होने की ति थ 04.07.2016 था। कार्य पर वर्तमान तक कुल रु 78.07 लाख व्यय कया गया था।

कार्यालय अ धशासी अ भयंता, निर्माण खंड, लो0 नि0 व0, लोहाघाट की लेखा परीक्षा में पाया गया (मार्च 2018) क खंड द्वारा उपरोक्त अनुबंध का अंति मकरण रु 55.00 लाख के साथ करने के उपरांत पुनः scupper, wingwall एवं Land compensation हेतु रु 67.24 लाख की प्रा व धक स्वीकृति प्राप्त की गयी (जुन 2017) कन्तु खंड द्वारा वर्तमान तक भी उक्त स्वीकृति के सापेक्ष कार्य प्रारम्भ नहीं कया गया था। अतः वत्तीय स्वीकृति के 11 वर्षों बाद भी उक्त मार्ग के लाभ से जनलोक को वं चत रखा गया।

उक्त की ओर इं गत कए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया क वत्तीय स्वीकृति के पश्चात समरेखन उपरांत वनभू म की सैद्धांतिक स्वीकृति (नवंबर 2014) के बाद कार्य प्रारम्भ कया गया जब क 2nd प्रा व धक स्वीकृति के 09 माह बाद भी कार्य प्रारम्भ न हो पाने के संबंध मे बताया गया क माह 06/2017 के बाद जीएसटी लागू हो जाने के कारण पुनरी क्षत दरो का आगणन नवंबर 2017 मे प्राप्त करने के बाद नि वदाए आमंत्रित की गयी हैं।

खंड का उत्तर से स्वतः स्पष्ट है  क खंड द्वारा  वत्तीय नियमावली की अवहेलना करते हुये न केवल कार्य को प्रारम्भ  कया गया अ पतु उक्त मार्ग का कार्य भी वर्तमान तक अपूर्ण था, का प्रकरण उच्चा धकारिओ के संज्ञान में लाया जाता है।

# भाग-II(ब)

प्रस्तर-3 : बिना सक्षम अ धकारी की स्वीकृति के **Extra item** के रूप में रु 36**,56,374/=** एवं वचलन (**Variation)** के रूप में रु 31**,16,993/=** की धनरा श का अनु चत व्यय !

राज्य योजना के अंतर्गत जनपद चंपावत के वधानसभा क्षेत्र-लोहाघाट में चाख से तल्ली छिनदा मोटर मार्ग के सुधारीकरण कार्य हेतु रु 328.11 लाख की वत्तयी एवं प्रशासनिक स्वीकृति (मार्च 2014) और प्रा व धक स्वीकृति 290.04 लाख की प्राप्त थी (10/2014) ! कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार श्री एल0 डी0 बिनवाल के साथ रु 2.14 लाख (रु 2.79 लाख के सापेक्ष ) का अनुबंध, अनुबंध संख्या 02/SE दिनांक 25/05/2015 गठित कया गया जिसके अनुसार कार्य पूर्ण करने की ति थ 24/11/2014 थी। दिनांक 30.06.2017 को शेष धनरा श रु 328.11-रु 290.04= रु 38.07 लाख की पुनः एक और प्रा व धक स्वीकृति, पक्की नाली/काजवे निर्माण /भूमी मुआवजा के कार्य निष्पादन हेतु प्रदान की गयी ! वर्तमान तक कार्य पर कुल रु 283.15 लाख का व्यय भारित कया गया है ( Form-64,मा सक लेखा 2/2018)

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता निर्माण खण्ड लो0 नि0 व0 लोहाघाट की लेखापरीक्षा (मार्च 2018) में पाया गया क खण्ड द्वारा रु 38.07 लाख की प्रा व धक स्वीकृति के सापेक्ष कोई भी अनुबंध गठित न करते हुये मदों को उपरोक्त अनुबंध के अंतर्गत Extra items एवं अतिरिक्त मात्राओं के रूप में सम्म लत करते हुये कार्य का निष्पादन कराया गया। कार्य मद Cement plum masonry with 40% plum & 60% 1:3:7 cement concrete including supply of all material, labour, T & p etc. required for proper completion of the work. को भी Extra item के रूप में सम्म लत कया गया था परंतु सक्षम अ धकारी (मुख्य अ भयन्ता) द्वारा स्वीकृत Extra items की सूची में यह मद सम्म लत नहीं था। साथ ही प्रा व धक स्वीकृति के B.O.Q में इस मद हेतु मात्र 167.77 cum @ रु 4494.40/= प्रति cum के हिसाब से रु 7,54,025/= की प्रावधानित धनरा श के सापेक्ष खण्ड द्वारा 813.54 cum( रु 36,56,374/= यानि 645.77 cum X रु 4494.40 = रु 29,02,348/= की धनरा श का अ धक मात्रा में इस मद का कार्य निष्पादित कराया गया। चूं क संबन्धित मद , Extra item के रूप में सक्षम अ धकारी द्वारा स्वीकृत नही था इस कारण खण्ड द्वारा अतिरिक्त मात्राओं से संबन्धित कुल रु 31,16,993/= की धनरा श का वचलन (variation) भी सक्षम अ धकारी मुख्य अ भयन्ता द्वारा स्वीकृत कराते हुये अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा स्वीकृत कराया गया था। अनुबंध स्यंम अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा गठित कया गया था इस कारण वचलन(Variation)

उच्च अ धकारी (Next Higher) द्वारा स्वीकृत कराना था। ( GPW-9 एवं प्रा व धक टिप्पणी बिन्दू 15 )

उक्त की और इं गत करने पर खण्ड द्वारा अपने उत्तर में उक्त Extra item के संबंध में बतलाया क " स्वीकृति प्राप्त है। साक्ष्य हेतु फोटो प्रति संलग्न है और वचलन (variation) की स्वीकृत के संबन्धित में बतलाया क अनुबंध अधीक्षण अ भयन्ता स्तर पर गठित है। उच्चा धकारी के स्वीकृत के संबंध में जानकारी अधीक्षण अ भयन्ता कार्यालय से प्राप्त करके कार्यालय महालेखाकर को प्रे षत कर दी जायेगी ।

खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्यों क खण्ड द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत फोटो प्रति में उक्त Extra item की स्वीकृति अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा प्रधान की गयी थी जब क स्वीकृति सक्षम अ धकारी (Next Higher Authority) मुख्य अ भयन्ता से प्राप्त करनी चाहिए थी जैसा क अन्य दो Extra items में कया गया था। खण्ड द्वारा सक्षम अ धकारी से वचलन (Variation) स्वीकृत न कराने का कारण Extra item Cement plum masonry with 40% plum & 60% 1:3:7 cement concrete including supply of all material, labour, T & p etc॰ required for proper completion of the work"॰ को सक्षम अ धकारी से स्वीकृत कराना था। इस प्रकार सक्षम अ धकारी की स्वीकृत के बिना ही खण्ड द्वारा , Extra item के रूप में रु 36,56,374/= एवं अतिरिक्त कार्य मात्राओं हेतु वचलन (Variation) के रूप में रु 31,16,993/= की धनरा श का अनु चत व्यय कार्य पर भारित कया गया है ।

अतः सक्षम अ धकारी की स्वीकृति के बिना ही खण्ड द्वारा Extra item के रूप में रु 36,56,374/= एवं वचलन (Variation) के रूप में रु 31,16,993/= की धनरा श के अनु चत व्यय कार्य पर भारित कये जाने के प्रकरण को उच्च अ धकारियों के संज्ञान में लाये जाता है ।

## <u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| क्रम संख्या | लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन सं0/वर्ष | अनिस्तारित प्रस्तर | |
|---|---|---|---|
| | | भाग-दो 'अ' | भाग-दो 'ब' |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | 30/2004-05 | 1 | 0 |
| 2. | 23/2007-08 | 1 | 0 |
| 3. | 52/2009-10 | 2,3,4 | 0 |
| 4. | 88/2010-11 | - | 1 |
| 5. | 70/2012-13 | - | 1 |
| 6. | 62/2015-16 | 1 | 2 |
| 7. | 2016-17 | - | 1 |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी। | | | | |

## भाग-IV

### इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

## भाग-V

## आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **अ धशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग ,लोहाघाट** के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. विगत लेखापरीक्षा से वर्तमान तक की अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

| क्रम सं0 | नाम | पदनाम | |
|---|---|---|---|
| 1. | ई. गरधर संह राणा | अ धशासी अ भयंता | 01/10/16 से 27/12/16 तक |
| 2. | ई. अनुपम सक्सेना | अ धशासी अ भयंता | 27/12/16 से 06/05/16 तक |
| 3. | ई. बी. बी. पाण्डेय | अ धशासी अ भयंता | 15/04/17 से 06/05/17 तक |
| 4. | ई. अनुपम सक्सेना | अ धशासी अ भयंता | 06/05/17 से 30/05/17 तक |
| 5. | ई. वी. एस. वोहरा | अ धशासी अ भयंता | 30/05/17 से 29/07/17 तक |
| 6. | ई. भुवनपंत | अधिशासी अभियंता | 29/07/17 से वर्तमान तक |

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

   (i) श्री ललित कुमार 30/06/15 से वर्तमान तक ।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, वद्युत एवं यांत्रिक खण्ड, ऋषकेश को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / लेखापरीक्षा अधिकारी**
**आर्थिक क्षेत्र - 2**